

महत्त्वपूर्ण

संख्या:436/2026-1698448/12-2099/55/2023

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०यू०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एफ०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि० (जैफेड), लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (यूपीएसएस), लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विपणन सहकारी संघ (हॉफेड), लखनऊ।
6. स्टेट हेड, नैफेड, बखशी का तालाब, लखनऊ।
7. शाखा प्रबन्धक, एनसीसीएफ, कानपुर नगर।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक:06अप्रैल, 2026

विषय: उत्तर प्रदेश में रबी मौसम 2025-26 मौसम (विपणन वर्ष 2026-27) में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत फसल तूर (अरहर - खरीफ), चना, मसूर एवं लाही - सरसों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या:F.No.L-15016/87/2025-MPS(173110), दिनांक 24 सितम्बर, 2025 (छयाप्रति संलग्न) तथा उपायुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: एल-15016/28/2026-एमपीएस (186772), दिनांक 31 मार्च, 2026 (छयाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के अन्तर्गत रबी मौसम 2025-26 (विपणन वर्ष 2026-27) के लिए क्रमशः अरहर की अधिकतम मात्रा 1,13,780 मी०टन तथा फसल चना की अधिकतम मात्रा 2,24,000 मी० टन, फसल मसूर की अधिकतम मात्रा 6,77,000 मी० टन तथा लाही - सरसों की अधिकतम मात्रा 5,30,000 मी०टन का क्रय; खरीद प्रारम्भ होने की तिथि से 60 दिन तक किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:एस-01/नि०कृ०सां०/सूचना/पी०एस०एस०/रबी 2025-26/लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त फसलों की कुल संस्तुत अधिकतम मात्रा का क्रय केन्द्रीय नोडल क्रय एजेंसियों यथा नैफेड एवं एन.सी.सी.एफ. द्वारा 80:20 के अनुपात में निम्नवत् किया जाएगा:-

क्र० सं०	क्रय एजेंसी का नाम	क्रय हेतु फसल की संस्तुत मात्रा (मी० टन में)			
		तूर (अरहर)	चना	मसूर	लाही-सरसों
1	नैफेड (NAFED)	91,024.00	1,79,200.00	5,41,600.00	4,24,000.00
2	एनसीसीएफ (NCCF)	22,756.00	44,800.00	1,35,400.00	1,06,000.00
कुल संस्तुत मात्रा		1,13,780.00	2,24,000.00	6,77,000.00	5,30,000.00

साथ ही प्रदेश में कार्यरत राज्य स्तरीय क्रय एजेंसियों द्वारा उक्त फसलों का क्रय 40:20:15:15:10

के अनुपात में निम्नवत् किया जाएगा:-

क्र०	कृषि एजेंसी का नाम	कृषि हेतु फसल की संस्तुत मात्रा (मी० टन में)			
		तूर (अरहर)	चना	मसूर	लाही-सरसाँ
1	यूपीपीसीयू (UPPCU)	45,512.00	89,600.00	2,70,800.00	2,12,000.00
2	यूपीपीसीएफ (UPPCF)	22,756.00	44,800.00	1,35,400.00	1,06,000.00
3	जैफेड (JEFED)	17,067.00	33,600.00	1,01,550.00	79,500.00
4	यूपीएसएस (UPSS)	17,067.00	33,600.00	1,01,550.00	79,500.00
5	हॉफेड (HOFED)	11,378.00	22,400.00	67,700.00	53,000.00
कुल संस्तुत मात्रा		1,13,780.00	2,24,000.00	6,77,000.00	5,30,000.00

3. केन्द्रीय नोडल कृषि एजेंसियों को उपरोक्त फसलों के कृषि हेतु आवंटित किए गए जनपदों की सूची संलग्न है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वास्तविक आगणित सरप्लस के आधार पर जिलावार कृषि केन्द्रों की संख्या तय करके, जिलाधिकारी के अनुमोदन से कृषि केन्द्र खोलते हुए भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों/तथ्यों के क्रम में पी.एस.एस. गाइड-लाइन्स का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए फसल तूर (अरहर-खरीफ), फसल चना, मसूर एवं लाही-सरसाँ का कृषि दिनांक 07 अप्रैल, 2026 से दिनांक 05 जून, 2026 तक (60 दिन) कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत कृषि हेतु कृषि केन्द्रों पर पीओएस मशीन की अनिवार्यता सम्बन्धी निर्गत निर्देशों/नियमों का भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

Digitally signed by
SARVESH KUMAR SINGH
Date: 06-04-2026
10:16:57 (SARVESH KUMAR SINGH)
विशेष सचिव।

संख्या: 436(1)/2026-1698448/12-2099/55/2023. तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

Digitally signed by
DR. ANJANA DUBEY
Date: 06-04-2026
12:06:52 (DR. ANJANA DUBEY)
अनुराधा सचिव।

प्रदेश में रबी 2025-26 सीजन में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत फसल तूर (अरहर-खरीफ), चना, मसूर एवं सरसों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में नामित नैफेड एवं एनसीसीएफ के मध्य जनपद आवंटन की वास्तविक सूची-

क्रमांक	नैफेड	एनसीसीएफ
1	बांदा	कानपुर नगर
2	चित्रकूट	मिर्जापुर
3	झांसी	आजमगढ़
4	महोबा	चन्दौली
5	हमीरपुर	मऊ
6	जालौन	आगरा
7	फतेहपुर	कन्नौज
8	कानपुर देहात	बस्ती
9	प्रयागराज	हरदोई
10	कौशाम्बी	एटा
11	ललितपुर	बहराईच
12	सोनभद्र	मथुरा
13	जौनपुर	महराजगंज
14	गाजीपुर	बरेली
15	औरैया	मेरठ
16	बलिया	पीलीभीत
17	सुल्तानपुर	सम्भल
18	रायबरेली	बागपत
19	प्रतापगढ़	अमरोहा
20	अमेठी	इटावा
21	वाराणसी	
22	उन्नाव	
23	अयोध्या	
24	मैनपुरी	
25	अम्बेडकर नगर	
26	लखनऊ	
27	फिरोजाबाद	
28	फर्रुखाबाद	
29	गोण्डा	
30	बाराबंकी	
31	संत रविदास नगर	

32	बलराजपुर	
33	संत कबीर नगर	
34	सीतापुर	
35	गोरखपुर	
36	कासगंज	
37	लखीमपुर खीरी	
38	देवरिया	
39	शाहजहाँपुर	
40	बुलंदशहर	
41	श्रावस्ती	
42	रामपुर	
43	अलीगढ़	
44	हथरस	
45	मुरादाबाद	
46	मुजफ्फरनगर	
47	कुशीनगर	
48	सिद्धार्थनगर	
49	गाजियाबाद	
50	सहरनपुर	
51	बदायूं	
52	शामली	
53	गौतमबुद्धनगर	
54	हपुड	
55	बिजनौर	